

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

जगदीश

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

विमलादेवी वगैरह

मुकदमा नं. 355/2025

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|-------------|---|---|
| 20.05.2026  | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। प्रकरण हाजा में वकुलाय को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकार/अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से व प्रकरण हाजा में आवाजे लगवाने पर भी उपस्थित नहीं आने पर प्रकरण हाजा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>(दिव्या सोनी)<br/>उपखण्ड अधिकारी नावां</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>नावां (डीडवाना-कुचामन)</p> |   |